न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00117 (192/2017) 225 आरटीएक्ट

जगदीश पुत्र मुख राम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. पवनकुंमार पुत्र मानाराम
2. प्रवीण कुमार पुत्र मानाराम
3. हरीराम पुत्र मोमनराम
4. साहबराम पुत्र मोमनराम
5. लालचन्द पुत्र पुरखाराम
6. सरस्वती देवी पत्नी निकूराम
7. औम प्रकाश पुत्र पूरा राम
8. अभयराम पुत्र पूराराम
9. रणवीर पुत्र पूराराम
10. महेन्द्र पुत्र पूराराम
11. बलवन्त पुत्र. पूराराम
12. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

सभी जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध आदेश दिनांक 05.06.2017 सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्रकरण संख्या 33/2016 बअनवानी जगदीश बनाम पवनकुमार आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः–
श्री देवदत भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्त रेस्पोडेण्ट
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः– 25.04.2019

1. अपीलाण्ट प्रार्थी ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. के प. नं 186/339 मु नं. 30 किला नं. 2, 9, 12, 19 में उत्तर से दक्षिण बीच में से होकर किला नं. 19 के मध्य तक 0.013 है. रास्ता स्वीकृत कर रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के रास्ता स्वीकृति बाबत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को इस आधार पर खारिज किया है कि खाता विभाजन का वाद चल रहा है उसमें रास्ता स्वीकृत करवाया जावे, जबकि अपीलाण्ट को आवागमन हेतु मु. नं. 30 के किला नं. 2, 9, 12, 19 में मौके पर रास्ता चालू है अपीलाण्ट हमेशा से ही इसी रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है जिसका हवाला तहसील रिपोर्ट में भी आया है। तकनीकी आधार पर आवेदन पत्र रास्ता स्वीकृति का खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपील स्वीकार कर रास्ता स्वीकृति का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि भूमि संयुक्त खाता की है एवं खाता विभाजन का वाद न्यायालय में विचाराधीन है। संयुक्त खाता की भूमि पर सभी हिस्सेदारान का हक होता है एवं रास्ता संबंधी विवाद खाता विभाजन के समय उसी में तय होगा। इसलिए आवेदन पत्र 251 ''क'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय में विधि सम्मत तरीके से खारिज किया है। अपील खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में रास्ता स्वीकृति बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था, जो विचारण न्यायालय ने सांझा खाता में रास्ता स्वीकृत नहीं किये जाने के आधार पर खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 26.12.2016 में यह कथन आया है कि प. नं. 186/339 मु. नं. 30 के किला नं. 2, 9, 12, 19 के मध्य तक उत्तर से दक्षिण दिशा में मौके पर रास्ता चालू है, जो स्वीकृतशुदा नहीं है एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व टिब्बी का स्थगन है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट का वर्तमान में अपनी भूमि पर आवागमन हेतु उक्त रास्ता को उपयोग उपभोग करता आ रहा है। एक काश्तकार को अपनी भूमि को काश्त करने, सिंचाई आदि व्यवस्था आदि को सुचारू रूप से चलाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। अगर कोई सह काश्तकार संयुक्त खाते की भूमि में रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है तो अन्य सह काश्तकार जो कि उस रास्ते का उपयोग उपभोग अपनी कृषि भूमि तक पहूंचने के लिए करते हैं से वंचित हो जायेंगे। जिससे उन्हें अपनी संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि को काश्त करने आदि में परेशानी उत्पन्न होगी। जैसा की प्रश्नगत भूमि के खाता विभाजन बाबत वाद विचाराधीन होने के कथन अपील बहस में आये हैं को मद्देनजर रखते हुए जब तक खाता विभाजन के वाद में प्रश्नगत भूमि का खाता विभाजन होकर निस्तारण नहीं होता है तब तक प्रश्नगत रास्ता में सह काश्तकार आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। प्रकरण में उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एव विलेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का निर्णय दिनांक 05.06.2017 खारिज किया है एवं आदेश दिया जाता है कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के यहां विचाराधीन प्रकरण खाता विभाजन में निर्णय पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने तक प्रश्नगत भूमि प. नं. 186/339 मु. नं. 30 के किला नं. 2, 9, 12, 19 के मध्य तक उत्तर से दक्षिण दिशा में मौके पर चालू रास्ता की अंतरिम व्यवस्था बनाये रखेंगे एवं पक्षकारान रास्ते के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25/4/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official